

प्रेषक,

डा० नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2024  
विषय- मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पद के कार्यभार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या-2037/आठ-6-2022 दिनांक 21.11.2022 का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश-563/आठ-3-10-26विविध/2017टी०सी० दिनांक 20.06.2019 के प्रस्तर-3.2 में निर्धारित मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं/ले-आउट के अंतर्गत 500 वर्गमीटर तक आवासीय भूखण्ड हेतु नगर नियोजक/अधिशाली अभियन्ता, स्वीकृत योजनाओं/ले-आउट के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर से कम के आवासीय भूखंडों तथा 500 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंडों के मानचित्रों के स्वीकृति हेतु मुख्य नगर नियोजक तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी मानचित्रों के अनुज्ञा हेतु स्वीकृत अधिकारी उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण नियत है, के अनुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु विषय विशेषज्ञ/तकनीकी रूप से अर्ह कार्मिक कौ प्रभार सौंपे जाने के साथ ही जहाँ पर मुख्य नगर नियोजक उपलब्ध न हों, वहाँ पर नियोजन संवर्ग के किसी अधिकारी को ही मानचित्रों के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु अधिकृत किये जाने पर विचार किये जाने की व्यवस्था की गई है।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद का स्थानांतरण बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली में हो जाने के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में किसी पूर्णकालिक मुख्य नगर नियोजक की तैनाती तक नियोजक संवर्ग के अधिकारी श्री अरविन्द कुमार, नगर नियोजक को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या-2037/आठ-6-2022 दिनांक 21.11.2022 एवं सपठित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश-563/आठ-3-10-26 विविध/ 2017टी०सी० दिनांक 20.06.2019 के प्रस्तर-3.2 में विहित व्यवस्था के आलोक में कार्यभार आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Nitin Ramesh Gokarn (डा० नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव।

Date: 25-06-2024 10:34:59